न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 251/2024
अनवान : –

1. केवल पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील तहसील नोहर।
2. जय भारती पुत्री प्रभुराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. कमल पुत्र प्रभूराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्र प्रभूराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री प्रभूराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़।
8. उप पजीयक नोहर तहसील नोहर।
9. उपं पजीयक हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़।
10. उप पंजीयक सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/01/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता स0 134/100 की कुल 1.2140 हैक्ट भूमि मे से 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 48/40 की कुल 15.2040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता स0 74/55 की कुल 0.4810 हैक्ट भूमि में से 1/200 हिस्सा भूमि व खाता स0 75/54 की कुल 4.3530 हैक्ट भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मोकलसर तहसील सुरतगढ़ के ख0न0 2 की कुल 3.2640 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब काबिज है, जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी ने [illegible] अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया की रोही मौजा 2 टीकेएम [illegible] 134/100 की कुल 1.2140 हैक्ट भूमि को यथावत रखते हुए शेष [illegible] अनुतोष डिक्री फरमा[illegible]वे। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स0 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता स0 134/100 की कुल 1.2140 हैक्ट भूमि मे से 1/12 हिस्सा भूमि व खाता स0 48/40 की कुल 15.2040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता स0 74/55 की कुल 0.4810 हैक्ट भूमि में से 1/200 हिस्सा भूमि व खाता स0 75/54 की कुल 4.3530 हैक्ट [illegible] 1/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मोकलसर तहसील सुरतगढ़ के [illegible] 2040 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible]दीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता स0 48/40 की कुल 15.2040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता स0 74/55 की कुल 0.4810 हैक्ट भूमि में से 1/200 हिस्सा भूमि व खाता स0 75/54 की कुल 4.3530 हैक्ट भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मोकलसर तहसील सुरतगढ़ के ख0न0 2 की कुल 3.2640 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....14/01/2026.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 251/2024

अनवान : –

1. केवल पुत्र प्रभुराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील तहसील नोहर।
2. जय भारती पुत्री प्रभुराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल पुत्र नत्थुराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. कमल पुत्र प्रभूराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. प्रियंका पुत्र प्रभूराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री प्रभूराम जाति ब्राहमण निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़।
8. उप पजीयक नोहर तहसील नोहर।
9. उपं पजीयक हनुमानगढ़ तहसील हनुमानगढ़।
10. उप पंजीयक सुरतगढ़ तहसील सुरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 251 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/01/2026

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता स0 48/40 की कुल 15.2040 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 एमडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता स0 74/55 की कुल 0.4810 हैक्ट भूमि में से 1/200 हिस्सा भूमि व खाता स0 75/54 की कुल 4.3530 हैक्ट भूमि में से 1/50 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा मोकलसर तहसील सुरतगढ़ के ख0न0 2 की कुल 3.2640 हैक्ट भूमि में से 2/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/... मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर